



भारत में वित्तीय समावेशन: एक सामान्य अध्ययन

डॉ. रोहिताश लाल बैरवा

सहायक आचार्य (अतिथि)

वाणिज्य संकाय

सेठ मंगलचंद चौधरी राजकीय महाविद्यालय, आबूरोड़

सिरोही, राजस्थान, भारत - 307026

ई-मेल - dr.rohitashlb@gmail.com

शोध सारांश

भारत एक विशाल अर्थव्यवस्था वाला देश है जहाँ पर विभिन्न विविधताएँ विद्यमान हैं और उन विविधताओं में आर्थिक विषमता प्रमुख है। जबकि किसी भी देश की आर्थिक विषमता उसके विकास की प्रमुख बाधाओं में से एक मानी जाती है क्योंकि आर्थिक विषमता देश के बुनियादी ढाँचे को कमजोर बनाती है और यदि बुनियादी ढाँचा ही कमजोर हो तो कितना भी प्रयास किया जाये व्यवस्था को मजबूत नहीं बनाया जा सकता है। यही कारण है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में विकास एवं उन्नति हेतु किये जाने वाले प्रयासों को बल प्रदान करने के लिए नीति निर्माताओं द्वारा एक ऐसे मार्ग का अनुसरण किया जाता है। जिसके माध्यम से सरकार आम आदमी को अर्थव्यवस्था के औपचारिक माध्यम में शामिल कर सकें। वस्तुतः यही कारण है कि वित्तीय समावेशन के तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि अन्तिम छोर पर खड़े व्यक्ति को भी आर्थिक विकास के लाभों में शामिल किया जा सके। कोई भी व्यक्ति आर्थिक सुधारों से वंचित ना रहे। सामान्यतया वित्तीय समावेशन एक ऐसी ही प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज के कमजोर वर्गों एवं कम आय वाले लोगों को आर्थिक सुधारों का लाभ पहुँचाया जा सके। प्रस्तुत आलेख में भारत में वित्तीय समावेशन पर एक सामान्य अध्ययन किया गया है।

मुख्य शब्द - वित्तीय समावेशन, ग्रामीण एवं अर्द्ध शहरी क्षेत्र, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल बैंकिंग।



परिचय

वित्तीय समावेशन कम आय वाले लोगों और समाज के वंचित वर्गों को वहनीय कीमत पर भुगतान, बचत एवं ऋण प्रदान करने के साथ-साथ वित्तीय सेवायें पहुँचाने का एक प्रयास है। इसे समावेशी वित्तपोषण भी कहा जाता है। वित्तीय समावेशन का मुख्य उद्देश्य उन प्रतिबंधों को दूर करना है जो वित्तीय क्षेत्र में भाग लेने से लोगों को बाहर रखते हैं तथा किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराना है। सामान्यतया वित्तीय समावेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत कमजोर वर्गों और कम आय वाले समूहों को सस्ती दरों पर समायोचित और पर्याप्त ऋण सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं। सामाजिक एवं आर्थिक विकास के सन्दर्भ में समस्त वर्गों का वित्तीय समावेशन सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। केन्द्र सरकार, राज्य सरकारें, भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, माइक्रो फाईनेंस संस्थानों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राष्ट्रीयकृत बैंकों ने समावेशी विकास को बढ़ावा देने और वित्तीय समावेशन की मांग और आपूर्ति की बाधाओं और चुनौतियों की पहचान करने की दशा में जो कार्य किया वह एक सराहनीय कदम है। वैश्विक स्तर पर भी अधिकांश देश वित्तीय समावेशन को अधिक व्यापक विकास के साधन के रूप में देखते हैं क्योंकि किसी भी देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में देश के प्रत्येक नागरिक की अपनी आय का एक वित्तीय साधन के रूप में महत्वपूर्ण स्थान होता है जो कि भविष्य में देश की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने और देश की अर्थव्यवस्था का विकास करने में प्रयोग किया जाता है। वित्तीय समावेशन इसलिए भी आवश्यक हो जाता है कि इसके अभाव में हर नागरिक अपने आपको असुरक्षित महसूस करता है। आज के युग को वैश्विक स्तर पर आर्थिक युग से जाना जाता है और आर्थिक दृष्टि से भारत की अधिकांश जनसंख्या असुरक्षित हैं। इसलिए सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन भारत की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता होने के साथ-साथ सार्वजनिक नीतिगत प्राथमिकता भी है।

भारत में वित्तीय समावेशन की आवश्यकता

वित्तीय समावेशन के अभाव में बैंकों की सुविधा से वंचित लोग मज़बूरीवश अनौपचारिक बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ने के लिये बाध्य हो जाते हैं। इन क्षेत्रों में ब्याज की दरें भी अधिक होती हैं और उधार दी गई राशि की मात्रा भी काफी कम होती है।

चूँकि अनौपचारिक बैंकिंग ढाँचा कानून की परिधि से बाहर होता है, अतः उधार देने वालों और उधार लेने वालों के बीच उत्पन्न किसी भी प्रकार के विवाद का कानूनी तरीकें से निपटान नहीं किया जा सकता है। जहाँ तक सवाल है वित्तीय समावेशन के सामाजिक लाभों का, तो आपको बताते चलें कि वित्तीय समावेशन के परिणामस्वरूप न केवल उपलब्ध बचत राशि में वृद्धि होती है, बल्कि वित्तीय मध्यस्थता की दक्षता में भी वृद्धि होती है। इतना ही नहीं, नित नए व्यावसायिक अवसरों का सृजन करने की सुविधा भी प्राप्त होती है। इस परियोजना का उद्देश्य केन्द्रीय बैंक और सामान्य बैंकिंग



अवधारणाओं के बारे में विभिन्न लक्षित समूहों जिनमें स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चे, महिलाएँ, ग्रामीण और शहरी गरीब, और वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं, को वित्तीय जानकारी उपलब्ध कराना है। भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (Securities and Exchange Board of India-SEBI) और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ सेक्योरिटीज मार्केट्स (National Institute of Securities Markets-NISM's) ने 'पाकेट मनी' नामक एक प्रमुख कार्यक्रम लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य स्कूली छात्रों में वित्तीय साक्षरता बढ़ाना है।

शोध पद्धति

शोध पद्धति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है जो शोध कार्य करने एवं उसके परिणाम तक पहुँचने में सहायता करती है। प्रस्तुत आलेख में विश्लेषणात्मक शोध पद्धति का प्रयोग किया गया है। सामान्यतया शोध पद्धति का उपयोग शोध प्रश्नों का उत्तर देने या परिकल्पनाओं का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। इस आलेख में सम्बंधित गुणात्मक संमक एकत्रित करके भारत में वित्तीय समावेशन से सम्बंधित जिजासाओं को उजागर करने का प्रयास किया गया है।

शोध उद्देश्य

इस आलेख में भारत में वित्तीय समावेशन का एक सामान्य अध्ययन किया गया है जिसमें वित्तीय समावेशन की आवश्यकता उपयोगिता तथा भारत के आर्थिक विकास में वित्तीय समावेशन की भूमिका को उजागर किया है। इस आलेख का मुख्य उद्देश्य केन्द्र सरकार द्वारा जारी भारत में वित्तीय समावेशन हेतु केन्द्रीय योजनाओं के सामान्य लोगों तक पहुँचने तथा उनसे लाभान्वित होने का अध्ययन करना है।

वित्तीय समावेशन लाभदायिकता/उपयोगिता

विश्व बैंक की वैश्विक वित्तीय समावेशन डेटाबेस या ग्लोबल फाइंडेक्स रिपोर्ट-2017 के अनुसार, वर्ष 2014 में अनुमानित 35 प्रतिशत भारतीय व्यक्तियों की अपेक्षा वर्तमान में 80 प्रतिशत व्यक्तियों के पास एक बैंक खाता है। जहाँ एक ओर इससे समाज में कमज़ोर तबके के लोगों को उनकी जरूरतों तथा भविष्य की आवश्यकताओं के लिये धन की बचत करने, विभिन्न वित्तीय उत्पादों जैसे बैंकिंग सेवाओं, बीमा और पेंशन उत्पादों आदि में भाग लेकर देश के आर्थिक क्रिया-कलापों से लाभ प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहन प्राप्त होता है। वहीं दूसरी ओर इससे देश को पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि करने में भी सहायता प्राप्त होती है। इसके फलस्वरूप होने वाले धन के प्रवाह से देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलने के साथ-साथ आर्थिक क्रिया-कलापों को भी संवर्धन प्राप्त होता है। पूर्व में निजी वित्तीय संस्थान सीमित आय वाले ग्राहकों के साथ संलग्न नहीं थे, परन्तु अब समय बदल गया है, और इस वर्ग के साथ भी निजी वित्तीय संस्थानों (पेटीएम, एयरटेल मनी और जियो मनी जैसे पेमेंट बैंक) की सक्रिय भागीदारी हुई, क्योंकि उन्होंने यह महसूस किया है कि गरीबों को वित्तीय दायरे



में लाना उनके व्यवसाय मॉडल के लिये भी फायदेमंद है। वित्तीय सेवाओं का एकीकरण जैसे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना का जैम त्रयी योजना के सम्मिलन लाभदायक प्रयोग सिद्ध हुआ। वित्तीय समावेशन से सरकार को सरकारी सब्सिडी तथा कल्याणकारी कार्यक्रमों में अंतराल एवं हेराफेरी पर रोक लगाने में भी मदद मिलती है, क्योंकि इससे सरकार उत्पादों एवं सब्सिडी देने के बजाय सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में अंतरित कर सकती है।

वित्तीय समावेशन की चुनौतियाँ

सभी की बैंकों तक पहुँच नहीं: बैंक खाते किसी भी वित्तीय सेवाओं के लिए एक प्रवेश द्वार है। लेकिन विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लगभग 190 मिलियन व्यक्तियों के पास बैंक खाता नहीं है, जिससे भारत, चीन के बाद गैर बैंकिंग आबादी के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है।

डिजिटल डिवाइड: कम आय वाले उपभोक्ता जो डिजिटल सेवाओं तक पहुँचने के लिये आवश्यक तकनीक का खर्च उठाने में सक्षम नहीं है। इन लोगों में तकनीकी कौशल की भी कमी है।

नीतियों के सुचारु क्रियान्वयन का अभाव: जन-धन योजना के परिणामस्वरूप कई हजार निष्क्रिय खाते खुल गए हैं, जिनमें वास्तविक बैंकिंग लेनदेन कभी नहीं हुआ। ऐसी सभी गतिविधियाँ संस्थानों का खर्च बढ़ाती है, और विशाल परिचालन लागत संस्थानों की वित्तीय स्थिति के लिये हानिकारक साबित होती है। इन विपरीत परिणामों से बचने के लिये, यह महत्वपूर्ण है कि सभी हितधारक इस तरह के कार्यक्रमों में उचित उद्देश्य के साथ भाग लें, न कि केवल औपचारिकता के लिये।

इस परिस्थिति में सरकार द्वारा प्रायोजित सर्वसुलभ बैंकिंग प्रणाली के परिणामस्वरूप अधिक प्रतिस्पर्धी बैंकिंग परिवेश की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक आर्थिक विविधीकरण में योगदान प्राप्त हुआ है।

वित्तीय समावेशन हेतु सरकारी योजनाएँ

1. प्रधानमंत्री जन-धन योजना
2. मुद्रा बैंक योजना
3. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्तीय निगम
4. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्तीय निगम
5. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जाति वित्तीय निगम
6. राष्ट्रीय सफाईकर्मि वित्तीय निगम
7. अटल पेशान योजना



8. डिजिटल इंडिया कार्यक्रम (अन्तिम व्यक्ति तक लाभ पहुँचाने के लिए)

वित्तीय समावेशन: वर्तमान स्थिति

जनधन-आधार-मोबाइल: आधार, प्रधानमंत्री जनधन योजना और मोबाइल संचार में वृद्धि ने नागरिकों तक सरकारी सेवाओं के पहुँचने का तरीका बदल दिया है। मार्च 2020 में अनुमान के अनुसार, जनधन योजना के तहत लाभार्थियों की कुल संख्या 380 मिलियन से अधिक रही है। व्यक्तिगत पहचान की आवश्यकता में महत्वपूर्ण बदलाव के साथ आधार न केवल एक सुरक्षित और आसानी से सत्यापन योग्य प्रणाली है, बल्कि वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया में यह एक महत्वपूर्ण टूल है। सरकार ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश में गरीबी तथा असंबद्ध लोगों को सशक्त बनाने व उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिये कई योजनाएँ शुरू की है। जिनमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड-अप-इण्डिया योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना प्रमुख है।

ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का विस्तार: भारतीय रिज़र्व बैंक और नाबार्ड ने ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिये पहल की है। इनमें प्रमुख हैं-

- दूरदराज के इलाकों में बैंक शाखाएँ खोलना।
- किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना।
- बैंकों के साथ स्व-सहायता समूहों का जुड़ाव।
- ऑटोमेटेड टेलर मशीनों (एटीएम) की संख्या बढ़ाना।
- बैंकिंग क्षेत्र में व्यावसायिक अभिकर्ता मॉडल।

डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा: भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (National Payments Corporation of India-NPCI) द्वारा यूनिफाईड पेमेंट इंटरफेस को मजबूत करने के साथ, पूर्व की तुलना में डिजिटल भुगतान को सुरक्षित बनाया गया है। आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली, आधार सक्षम बैंक खाते को किसी भी समय और किसी भी स्थान पर माइक्रो एटीएम का उपयोग करने में सक्षम बनाती है। ऑफलाइन लेनदेन सक्षम करने वाले प्लेटफार्म अवसंरचनात्मक पूरक सेवा डेटा (Unstructured Supplementary Service Data –USSD) के कारण भुगतान प्रणाली को और अधिक सुलभ बनाया गया है, जिससे सामान्य मोबाइल हैंडसेट पर भी इंटरनेट के बिना मोबाइल बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करना संभव हो जाता है।

वित्तीय साक्षरता बढ़ाना: भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय साक्षरता नामक एक परियोजना शुरू की है।



अनौपचारिक और नकद आधारित अर्थव्यवस्था: भारत एक नकदी आधारित अर्थव्यवस्था है, जो डिजिटल भुगतान अपनाने की दिशा में एक चुनौती है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, भारत में लगभग 81 प्रतिशत व्यक्ति अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं। लेनेदेन के लिये नकदी आधारित आधारित अर्थव्यवस्था पर उच्च निर्भरता के साथ एक विशाल अनौपचारिक क्षेत्र का संयोजन डिजिटल वित्तीय समावेशन के लिये बाधा बन गया है।

वित्तीय समावेशन में लैंगिक अंतराल: ग्लोबल फाइंडेक्स रिपोर्ट-2017 के अनुसार, भारत में 15 वर्ष से अधिक आयु के 83 प्रतिशत पुरुषों के अपेक्षा 77 प्रतिशत महिलाओं ने ही किसी वित्तीय संस्थान में खाते का संचालन किया। इस अंतराल के लिये सामाजिक-आर्थिक कारक उत्तरदायी है, जिसमें मोबाईल हैंडसेट की उपलब्धता और इंटरनेट डेटा की सुविधा महिलाओं की तुलना में पुरुषों के बीच अधिक है।

भारतीय वित्तीय समावेशन में वृद्धि हेतु सुझाव

देश के प्रत्येक कोने में बैंकिंग शाखाओं की स्थापना करने में अधिक समय लग सकता है। ऐसे में भावी ग्राहकों तक बैंकिंग गतिविधियों की पहुँच सुनिश्चित करने के लिये 'बैंकिंग संवाददाता मॉडल' का उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार, बैंकिंग संवाददाताओं के लिये बेहतर मौद्रिक प्रोत्साहन के साथ-साथ उन्हें बेहतर प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है।

जैम त्रयी योजना के साथ उचित तकनीकी विकास को जोड़कर एक डेटा शेयरिंग फ्रेमवर्क की स्थापना की जा सकती है। वित्तीय समावेशन हेतु डिजिटलीकरण की दिशा में बढ़ने के साथ ही देश में साइबर सुरक्षा और डेटा सुरक्षा व्यवस्था को मज़बूत करने की भी आवश्यकता है। विभेदीकृत बैंक जैसे-भुगतान बैंक और छोटे वित्त बैंक पिछड़े क्षेत्रों में भुगतान प्रणाली को बढ़ाने में कारगर विकल्प साबित हो सकते हैं। वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति निर्माण की प्रक्रिया एक प्रभावी कदम साबित हो सकती है।

निष्कर्ष

भारत में वित्तीय समावेशन की सफलता के लिये, एक बहु आयामी दृष्टिकोण होना चाहिये, जिसके माध्यम से मौजूदा डिजिटल प्लेटफार्म, बुनियादी ढाँचे, मानव संसाधन और नीतिगत ढाँचे को मज़बूत किया जाए और नए तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा दिया जाए। यदि मौजूदा समस्याओं के समाधान के लिए प्युप्त उपाय किये जाते हैं, तो वित्तीय समावेशन के द्वारा गरीबों को भी आर्थिक विकास के लाभ प्राप्त होंगे।

सन्दर्भ सूची:

1. ग्लोबल फाइंडेक्स 2017 की रिपोर्ट का अध्ययन।



2. गुप्ता राजीब घड़ाडियी और गरिमा (2014), "इन इंपेरिकल ऐनालिसिस ऑफ फाईनेन्शियल इंप्लूजन ऑफ इंडिया", 41-48.
3. रंगराजन सी (2008), "वित्तीय समावेश पर समिति रिपोर्ट" भारत सरकार, जनवरी 2008.
4. 'एम.एफ.आई.जी.एन कम्यूनिटीज' विषय पर आयोजित फिक्की यू.एन.डी.सी. सेमीनार में दिया गया भाषण, नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 2011.
5. आर.बी.आई. द्वारा जारी राष्ट्रीय रणनीति 2019-2024 का अध्ययन।
6. रेग्यूलैटरी सैण्डबॉक्स 2019 का अवलोकन।
7. वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति का अवलोकन।
8. समाचार पत्रों का अवलोकन
 1. दी हिन्दू जनवरी 2021 में प्रकाशित लेख का विश्लेषण।
 2. दी इंडियन एक्सप्रेस मार्च 2021 लेख का अवलोकन।
 3. जनिस् लाईन में प्रकाशित लेख का अध्ययन।
 4. विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं एवं समाचार पत्रों का अवलोकन

वेब साइट:

1. www.wikipedia.com